रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022021-225001 CG-DL-E-08022021-225001

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2021/माघ 19, 1942

No. 518]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2021/MAGHA 19, 1942

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

का.आ. 570(अ).— मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 के बीच में एक कंसाईनमेंट यानी "जी स्टेटर" कहलगाँव, बिहार से लेकर अडानी पावर प्लांट, गोड्डा झारखंड तक सड़क यातायात हेतु जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार / कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है —

## अनुसूची

- 1. मै. एमएफसी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई उपरोक्त यातायात के लिए मै. ड्यूग्रो प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के लिए यातायात कम्पनी है।
- 2. उपरोक्त एक यातायात के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र प्राईम मुवर्स ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएगें:

क0 सं0	ट्रेक्टरों का पंजीकरण संख्या	मेक /क्षमता
1.	एमएच 04 डीडी 9877	वोल्वो — 520 एचपी
2.	एमएच 04 सीयू 9977	वोल्वो — 520 एचपी
3.	एमएच 46 एच 4577	वोल्वो — 520 एचपी

उपरोक्त एक यातायात के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएगें:

775 GI/2021 (1)

क्रम सं0	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	ट्रेलरों में धूरियों की संख्या	ट्रेलरों में पहियों की संख्या	ट्रेलरों का स्वीकृत कुल सकल भार पंजियन प्रमाण-पत्र के अनुसार (टनों में)
1.	एमएच 46 एच 4877	4	32	72
2.	एमएच 46 एच 5377	4	32	72
3.	एमएच 46 एच 5477	4	32	72
4.	एमएच 46 एच 5577	6	48	108
5.	एमएच 46 एच 5677	6	48	108

4. वाहन और भार विन्यासः लदी हुई स्थिति में कुल सकल भार एवं कन्साइनमेंट का माप निम्नलिखित होगा :--

खाली भार (टन)	कन्साइनमेंट का भार(टन)	धूरियों का कुल सकल भार	कन्साइनमेंट का कुल माप (एम.एम. में) (लम्बाई x चौडाई x उंचाई)	चौड़ाई एवं लम्बाई में धूरियों को जोड़ने का विवरण
88.5 टन	396 ਟਜ	484.5 ਟਜ	10814 X 4900 X 4740	1+1/2 धूरी प्रत्येक पंक्ति में, 16 धूरी पंक्तियां (24 धुरी पंक्ति के बराबर एक समानान्तर में) एवं 1+1/2 धूरियों को चौड़ाई में जोड़ा जाएगा (एक धुरी पंक्ति में 12 टायर)।

- 5. उपर्युक्त छूट इन शर्तो के अध्यधीन है:-
- (i) उपरोक्त कन्साइनमेंट के यातायात हेतु विशेष रास्ता कहलगाँव, बिहार से लेकर अडानी पावर प्लांट, गोड्डा झारखंड निम्नानुसार है: — कहलगाँव — एकचारी — डिग्गी — नयनगर — महागामा — पथरगामा — गोड्डा — सिकटिया — अडानी पावर प्लांट गोड्डा — 76.6 कि.मी.।
- (ii) लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहनों को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमित ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बित्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे वाहन के आगे तथा पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
- (iv) केवल उपरोक्त फेरे के लिए ट्रेलरों को लम्वाई एवं चौडाई में जोडने की अनुमति है।
- (v) मैं. एमएफसी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को वाहन के प्रत्येक आवागमन कार्यक्रम की सूचना कम—से—कम दस दिन पूर्व राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्राधिकारी/विशेष अधिकारी को देनी होगी।
- (vi) किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसा निर्देश दिया जाए तो लदे हुए वाहनों को उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमित नहीं होगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को निदयों/नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- (vii) मैं. एमएफसी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को बड़े आकार के कार्गो को घ्यान के रखते हुए उन्हें किसी मार्ग विशेष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारियों / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमित प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्रधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- (viii) उक्त वाहन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुँचाए बगैर चलाया जाना चाहिए।
- (ix) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी. / घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (x) ट्रेलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए/पार्किंग के लिए आगे, और पीछे समुचित रूप से लाल

बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोंनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे वाहन की सही–सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

- (xi) सड़कों अथवा सड़क ढांचों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं / व्यक्तियों का ऐसे वाहनों के प्रचालन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी क्षित के लिए राज्य / संघ शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए मै. एमएफसी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई जिम्मेदार होगी।
- (xii) मैं. एमएफसी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेंगी जो इस संबंध में राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (xiii) मैं. एमएफसी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई देखेगी कि उपरोक्त फेरों में काम आने वाले सारे वाहनों का सड़क कर दे दिया गया है एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा कवर, राष्ट्रीय परिमट एवं पी यू सी प्राप्त कर लिए गये हैं।
- (xiv) ट्रेलरों के यातायात हेतु लम्वाई को जोड़ने के पश्चात यदि समायोजन की चौड़ाई सड़क की चौड़ाई से अधिक है तो राज्य सरकारों / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से परामर्श कर बाई पास बनाना या अन्य उपाय किए जाएगें।
- (xv) ट्रेलरों एवं प्राईम मूवर्स के पंजीकरण पुस्तिका में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत हैं।
- (xvi) किसी भी अन्य वाहन मालिकों से लिए वाहनों एवं वाहनों के पार्ट्स के संबंध में उत्पन्न मुद्दों का दायित्व मै. एमएफसी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई का होगा।
- (xvii) कंसाईन्मेंट के परिवहन के दौरान किसी भी प्रकृति का कोई भी उठे मुद्दे के लिए मै. एमएफसी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई जिम्मेवार होगा।

[फा. सं. आर.टी–11042/03/2021–एम.वी.एल.] अमित वरदान, संयुक्त सचिव

3

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th February, 2021

**S.O. 570(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for transportation of one G Stator during the period from February, 2021 to July, 2021 from Kahalgaon, Bihar to Adani Power Plant, Godda, Jharkhand by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions as mentioned in the schedule appended hereto.

#### **SCHEDULE**

- 1. M/s MFC Transport Pvt. Ltd., Mumbai is the transporter of M/s Deugro Projects (India) Pvt. Ltd. for the aforesaid movements.
- 2. The following independently registered Prime Movers will be utilized in the above movement:-

Sl. No.	Registration No. of Trailers	Make/Power	
1.	MH 04 DD 9877	Volvo – 520 HP	
2.	MH 04 CU 9977	Volvo – 520 HP	
3.	MH 46 H 4577	Volvo – 520 HP	

3. The following independently registered Hydraulic Trailers will be utilized in the above movement:-

Ī	Sl. No.	Registration No.	No. of Axles	No. of Tyres in	GVW sanctioned/ mentioned in RC of
		of Trailers	in Trailers	Trailers	Trailers (in Ton)
Ī	1.	MH 46 H 4877	4	32	72

2.	MH 46 H 5377	4	32	72
3.	MH 46 H 5477	4	32	72
4.	MH 46 H 5577	6	48	104
5.	MH 46 H 5677	6	48	104

4. Vehicle and Load Configuration:- GVW of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be :-

Unladen Weight	Weight of Consignment	GVW of the axles	consignment (in MM)	1 2
		required	(length x Width x Height)	
88.5 MT	396 MT	484.5 MT	10814 x 4900 x 4740	1 + ½ axles in each row; 16 axle rows (equivalent to 24 axles rows in common parlance) will be coupled in 1 + ½ axle width (12 tyres per axle row)

- 5. The above relaxation is subject to the conditions that :-
- (i) The specific route for transportation of above consignment from Kahalgaon, Bihar to Adani Power Plant, Godda Jharkhand is as under: -
  - Kahalgaon Ekchari Digghi Nayanagar Mahagama Pathargama Godda Sikatia Adani Power plant Godda 76.6 KMS
- (ii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from Safety point of view.
- (iii) The vehicles should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- (iv) Coupling of the trailers along side by side the width of the road will be permissible only for above movement.
- (v) M/s MFC Transport Pvt. Ltd. Mumbai will give advance intimation at least ten days in advance to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.
- (vi) If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- (vii) M/s MFC Transport Pvt. Ltd. Mumbai would need to obtain permission before movement, from the concerned State or union Territory Authorities/National Highway Authority of India enroot, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- (viii) The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- (ix) The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 kms/hour.
- (x) The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly. In addition the entire overhang shall be covered with a red reflector/reflective tape to facilitate clear vision of overhang.

- (xi) M/s MFC Transport Pvt. Ltd. Mumbai would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- (xii) M/s MFC Transport Pvt. Ltd. Mumbai will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- (xiii) Company will ensure that road tax have been paid, fitness certificate, insurance cover, National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movements.
- (xiv) In case, the width after sideway coupling of trailers exceeds the road width in certain stretches, by passes/other measures in consultation with States Authorities/National Highway Authority of India will be taken for movement of the above consignment.
- (xv) No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the State of Maharashtra.
- (xvi) In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, M/s MFC Transport Pvt. Ltd. Mumbai shall be responsibility for the same.
- (xvii) Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the M/s MFC Transport Pvt. Ltd., Mumbai.

[F. No. RT-11042/03/2021-MVL]
AMIT VARADAN, Jt. Secy.